तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रघुनाथ बनाम राज सरकार वगै०	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
9/9/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 8/10/25 को पेश हो।	
8/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित पत्रावली बहस दिनांक 28/10/25 को पेश हो।	
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उपस्थित अधि० वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/11/25 को पेश हो।	
25/11/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 17/12/25 को पेश हो।	
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधि० प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी वादीगण/प्रार्थीगण की पैत्रिक आराजी है जो कि ग्राम गढ़लु में स्थित है। उक्त विवादित आराजी का दौराने सैटलमेन्ट दक्षिणी गहराई को बढ़ाकर 14 से 18 कर दिया है। पूर्व दिशा के गहराई को कम करते हुये 54 के स्थान पर 50 कर दिया। परन्तु दक्षिणी दिशा के पूर्व से ही मौके पर सड़क बनी हुई है। जिसके कारण विवादित आराजी का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

२, प्रार्थी अनिल बनाम सरकार

स्वतः प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थी की नियुक्ति हेतु पांच वर्षों पश्चात का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया प्रा० पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रिकार्ड एवं जवाब तहसीलदार उच्चैन का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तो किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना संभावित नहीं है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर के बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)